पूर्वी दिल्ली में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

1913. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने गत तीन वर्षों में कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी किए हैं, और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं, कितने आवेदन पत्र बिना विचार किए ही रद्द कर दिए हैं क्रमश: नाम, आयु, जाति और पते सहित आवेदकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे विचाराधीन प्रमाण-पत्र आवेदकों को कब तक जारी कर दिए जायेंगे, प्रमाण-पत्रों को रद्द किए जाने के कारण क्या हैं और क्या उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में छः से आठ माह लगते हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त मामले की आसूचना विभाग द्वारा जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) सूचन एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को परेशान किए जाने संबंधी शिकायतें

1914. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के तंग करने व अपमानित करने के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध हैं ;

(ख) ऐसी शिकायतों पर दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ;

(ग) शिकायतकर्ताओं के नाम एवं पते क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार शिकायतों पर कार्यवाही न करने वाले दोषी अधिकारियों को सजा देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं । [देखिए परिशिष्ट 153, अनुपत्र संख्या 80]

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

1915. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब दिल्ली पुलिस के कार्मिकों की कोई शिकायत संसद् सदस्य द्वारा किसी उच्च अधिकारी से की जाती है तो उक्त शिकायत की जांच वही कार्मिक करता है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है; यदि हां, तो पुलिस स्टेशन, सीलमपुर दिल्ली के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, शिकायतकर्त्ताओं के नाम व पते क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मोहम्मद कासिम, झुग्गी ठेका, शास्त्री पार्क, सीलम पुर के निवासी के पुत्र द्वारा सीलमपुर पुलिस स्टेशन के एक सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध दर्ज कराई गई और 12 फरवरी, 1990 को एक संसद् सदस्य द्वारा पुलिस आयुक्त को अग्रेषित की गई शिकायत की जांच स्वयं उसी सहायक उप-निरीक्षक द्वारा की गई और उसे रद्द कर दिया गया; और